न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 316/2023

मोहनलाल पुत्र नरसिंगाराम व अन्य
बनाम
चांदा पुत्र खेता वगैरा

दिनांक 5.02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सेडवा द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 399/2022 बअनवान चान्दा वगैरा बनाम लतीफ वगैरा में पारित आदेश दिनांक 07.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं0 1 से 8—प्रार्थी ने प्रार्थना प्रस्तुत कर आग्रह किया कि तहसील सेडवा स्थित ग्राम सालारिया के ख0नं0 246 रकबा 0.8417 हैक्टर व ख0नं0 278 रकबा 11.7278 हैक्टर उसकी खातेदारी भूमि के पडौस में विप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। जिनमें काश्त को लेकर अक्सर विवाद रहता है। प्रार्थी के सीमाज्ञान आवेदन पर मौका फर्द दिनांक 13.11.22 के अनुसार मौके पर अप्रार्थी सहमत नही हुए। इस कारण प्रार्थी के खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर कर पत्थरगढी/पक्की नेखमबंदी करवाने का आदेश फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.06.2023 द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार सेडवा को कमीनश्र नियुक्त कर दोनो पक्षों के रूबरू वादग्रस्त खसरान की पैमाईश करवाकर, पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स—विप्रार्थी सं0 21 से 26 ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

वकील अपीलांट श्री लाधूराम पूनिया, प्रत्यथी सं0 1 से 8 के अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी एवं प्रत्यर्थी सं0 32 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई।

दौरान बहस वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यथी सं0 1 से 8—प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम सालरिया के ख0नं0 246 व 278 का

अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सीमाज्ञान करवाकर नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच सीमा विवाद होने से हल्का पटवारी/भू.अ.निरीक्षक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 10.11.22 की पालना में वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान करवाने से मना कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण को जवाब के लिए समय देकर पत्रावली दिनांक 14.7.23 को रखी गई थी, किंतु उक्त तिथि से पूर्व ही दिनांक 7.6.23 को पत्रावली तारीख पेशी पर लेकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिससे अपीलांट को सुनवाई एवं जवाव/साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार से सीमाज्ञान रिपोर्ट तलब नही की गई और न ही मौका जांच करवायी गई। अतः अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एवं अभिलेख के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थ में न्यायिक नजीर आरआरटी 2017(2) पेज नं0 1084—88 की प्रति प्रस्तुत की गई।

जवाब में प्रत्यर्थी सं0 1 से 8 के योग्य अधिवक्ता ने फार्म नं0 3 के साथ तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक 2598 दिनांक 12.07.23 व इसके संलग्न मौका फर्द दिनांक 07.07.23 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर यह आग्रह किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर वादग्रस्त खसरा नं0 246 की पैमाईश कर दोनो पक्षों के रूबरू बिन्दु सं0 A से D कायम कर पक्के नेखम स्थापित कर दिये गये है।

इसी प्रकार खसरा नं0 278 के बिन्दु सं0 A से L कायम कर, बिन्दु सं0 A से D व J, K, L पर कोई विवाद नही होने से पक्के नेखम स्थापित कर दिये गये है, लेकिन बिन्दु सं0 E से I पर पडौसी खातेदारों का विवाद होने से नेखम स्थापित नही किए गये। पडौसी ख0नं0 276, 275, 722/275 व 737/275 के काश्तकारों का वादग्रस्त ख0नं0 278 की 0.35 हैक्टर भूमि पर कब्जा व 0.02 हैक्टर भूमि पर रहवासी पक्का मकान बना हुआ है, जिनकी स्थिति नक्शें में बरंग दर्शायी गई है। तहसीलदार की पालना में नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही होने तक व पडौसी खातेदारों के कब्जा काश्त की 0.37 हैक्टर भूमि के संबंध में आगामी आदेशानुसार पालना अमल में लायी जाने का उल्लेख किया हुआ है।

रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा वकील अपीलांट की बहस के खण्डन में यह भी आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सुनवाई दिनांक 14.7.23 नियत की हुई थी, जो रेस्पो0—प्रार्थी के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 07.06.23 को तारीख

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पेशी पर ली गई। आदेशिका दिनांक 07.6.23 के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 से 20 व 27 से 29 के नोटिस व्यक्तिगत सूचना प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई तथा अपीलांट–अप्रार्थी सं0 21 से 26 को पूर्व में जवाब हेतु अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नही करने से उनका जवाब बंद किया जाकर रेस्पो0 प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सीमाज्ञान फर्द दिनांक 13.11.2022 के अनुसार वादग्रस्त ख0नं0 278 के दक्षिणी दिशा में स्थित ख0नं0 276 के खातेदार सहमत नही हुए। इस स्थिति में रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान व नेखमबंदी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित अपीलाधीन आदेश की पालना मौके पर दिनांक 07.07.2023 को ही हो चुकी है तथा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 25.07.2023 को प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 32 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रकट है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2023 की पालना में तहसीलदार सेड़वा द्वारा जरिये पत्रांक 2598 दिनांक 12.07.23 द्वारा प्रेषित पालना व उसके सलंग्न मौका फर्द दिनांक 07.07.2023 के अनुसार दोनो पक्षों के रूबरू वादग्रस्त खसरा नं0 246 की पैमाईश कर नेखमबंदी की जा चुकी है तथा खसरा नं0 278 के बिन्दु सं0 A से L कायम कर, बिन्दु सं0 A से D व J, K, L पर कोई विवाद नही होने से पक्के नेखम स्थापित किए जा चुके है एवं बिन्दु सं0 E से I पर पडौसी खातेदारों का विवाद होने से नेखम स्थापित नही किए गये। तहसीलदार की पालना रिपोर्ट में पडौसी ख0नं0 276, 275, 722/275 व 737/275 के काश्तकारों का वादग्रस्त ख0नं0 278 की 0.35 हैक्टर भूमि पर कब्जा व 0.02 हैक्टर भूमि पर रहवासी पक्का मकान बना हुआ होना उल्लेखित है। अतः इस स्थिति में न्यायहित में अपीलाधीन आदेश वादग्रस्त

खसरा नं0 246 एवं खसरा नं0 278 में सम्पन्न हुई नेखमबंदी की सीमा तक यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सेडवा द्वारा राजस्व आवेदन सं0 399/2022 बअनवान चान्दा वगैरा बनाम लतीफ वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त आदेश को ग्राम सालारिया खसरा नं0 246 एवं खसरा नं0 278 में सम्पन्न हुई नेखमबंदी की सीमा तक यथावत रखा जाता है। खसरा नं0 278 के शेष बिन्दुओं की नेखमबंदी हेतु प्रत्यर्थी सं0 1 से 8–प्रार्थी–चान्दा वगैरा समक्ष न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर, वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज **दिनांक** 5-2-26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

5/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर